



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-253016
CG-DL-E-14032024-253016

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, बूहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945

No. 187]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

संख्या 06/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 200(अ).—जब कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “सेल्फ-अधेसिव विनाइल (एसएवी)” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वास्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदों 39199090, 39191000, 39199010, 39199020, 39209919, 39206929 या 39219099 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना फाइल संख्या 6/16/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 सितम्बर, 2023, जिसे दिनांक 29 सितम्बर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है कि-

- (i) विषयगत माल का विषयगत देश से भारत को निर्यात इसके पाठित मूल्य पर किया गया है;
- (ii) घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाठित आयात के कारण सारवान क्षति हुई है,

घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्रम सं.	शीर्षक	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातिक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	39199090, 39191000, 39199010, 39199020, 39209919, 39206929, 39219099	100 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाली पीवीसी फिल्म वाली सभी प्रकार की एसएबी पॉलीविनाइल क्लोरोइड फिल्म्स का उपयोग करके बनाई जाती है और केवल रोल फार्म में आयात की जाती है*	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	फोशान केएल डेकोरेटिव मेटेरियल कं. लि.	शून्य	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	झेजियांग सो-फाइन सेल्फ ऐडेसिव कं. लि.	4	-वही-	-वही-
3.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	ज्यूसेन एचसीआर डिजिटल मीडिया कं. लि. चीन जनवादी गणराज्य	112	-वही-	-वही-
4.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	झाओर्किंग साउदर्न मेटेरियल लि. चीन जनवादी गणराज्य	942	-वही-	-वही-
5.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	जियांग्सू एओली न्यू मेटेरियल्स कं. लि. चीन जनवादी गणराज्य	1824	-वही-	-वही-

6.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	एवरी डेनिसन (चीन) कं. लि.	शून्य	-वही-	-वही-
7.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कं. लि. चीन जनवादी गणराज्य	119	-वही-	-वही-
8.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	नांगटोंग बैना डिजिटल न्यू मेटेरियल कं. लि., चीन जनवादी गणराज्य	119	-वही-	-वही-
9.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	झेजियांग ईया न्यू मेटेरियल कं. लि. चीन जनवादी गणराज्य	201	-वही-	-वही-
10.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	झेजियांग फुलाई न्यू मेटेरियल कं. लि. चीन जनवादी गणराज्य	शून्य	-वही-	-वही-
11.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	कोई अन्य	1865	-वही-	-वही-
12.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई देश	1865	-वही-	-वही-

* स्टिकर, टेप, लेबल, पाउच, पीपी, पीईटी, टीपीयू, इंकजेट मीडिया (50 माइक्रोन से कम), प्रोफाइल, क्लॉथ रिफलेक्टिव, मेटलाइज्ड, ग्लो विनाइल, एचडीपीई, फ्लोर मार्किंग टेप, एक्रिलिक, बीओपीपी, ऑटोमेटिव जैसे सेल्फ-अधेसिव फिल्मों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, रिफलेक्टिव फिल्म, सन-कंट्रोल फिल्म्स और ग्लास सेफ्टी फिल्म्स और सेल्फ-अधेसिव उत्पाद जिनका निर्माण पीईटी, पीयू, बीओपीपी, आदि जैसे पीवीसी फिल्मों को छोड़कर बनाया जाता है, विचाराधीन उत्पादन के दायरे से बाहर हैं।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाठन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाठन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/32/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2024

No. 06/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 200(E).— Whereas, in the matter of “Self-Adhesive Vinyl (SAV)” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 3919 90 90, 3919 10 00, 3919 90 10, 3919 90 20, 3920 99 19, 3920 69 29 or 3921 90 99 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification F. No. 6/13/2022-DGTR, dated the 28th December, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th December, 2023, has come to the conclusion, *inter alia* that—

- (i) the product under consideration that has been exported to India from the subject country at dumped prices;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the following Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	39199090, 39191000, 39199010, 39199020, 39209919, 39206929, 39219099	All types of SAV, with PVC film thickness above 100 microns, made by using Polyvinyl Chloride Films and imported in roll form only*	China PR	Any country, including China PR	Foshan KL Decorative Materials Co., Ltd.	NIL	MT	USD
2.	-do-	-do-	-do-	-do	Zhejiang Sofine Self Adhesive Products Co., Ltd.	4	-do-	-do-
3.	-do-	-do-	-do-	-do	Xusen HCR Digital Media Co., Ltd., China PR	112	-do-	-do-

4.	-do-	-do-	-do-	-do	Zhaoqing Southern New Material Limited, China PR	942	-do-	-do-	
5.	-do-	-do-	-do-	-do	Jiangsu Aoli New Materials Co., Ltd., China PR	1824	-do-	-do-	
6.	-do-	-do-	-do-	-do-	Avery Dennison (China) Co., Ltd	NIL	-do-	-do	
7.	-do-	-do-	-do-	-do-	Shanghai NAR Industrial Co. Ltd, China PR	119	-do-	-do-	
8.	-do-	-do-	-do-	-do-	Nantong Baina Digital New Material Co., Ltd, China PR	119	-do-	-do-	
9.	-do-	-do-	-do-	-do-	Zhejiang Yiya New Materials Co. Ltd., China PR	201	-do-	-do-	
10.	-do-	-do-	-do-	-do-	Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd., China PR	NIL	-do-	-do-	
11.	-do-	-do-	-do-	-do-	Any other	1865	-do-	-do-	
12.	-do-	-do-	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	1865	-do-	-do-

*Self-adhesive films like sticker, tape, label, pouch, PP, PET, TPU, inkjet media (less than 50 micron), profile, cloth, reflective, metalized, glow vinyl, HDPE, floor marking tape, acrylic, BOPP, automotive are not covered within the scope of PUC. Further, reflective films, sun control films and glass safety films and self-adhesive products made using other than PVC films such as PET, PU, BOPP, etc. outside the scope of the product under consideration.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of three years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/32/2024-TRU Section-CBEC]

NITISH KARNATAK, Under Secy.